



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 404 राँची, शनिवार,

20 अगस्त, 2022 (ई०)

स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त, 2022

संख्या-22/विविध-01-10/2022- 45(22)—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग,भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं०- D.O.No.U.11019/07/2022 HR दिनांक- 03.02.2022 एवं D.O.No.U.11019/08/2022 HR दिनांक-04.02.2022 में निहित निदेश के आलोक में The surrogacy (Regulation) Act 2021 के अनुच्छेद 26, 27 तथा The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act 2021 के अनुच्छेद 6 के तहत झारखण्ड राज्य में State Assisted Reproductive Technology and surrogacy Board का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1.	माननीय विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,झारखण्ड	-अध्यक्ष(पदेन)
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,झारखण्ड	-उपाध्यक्ष(पदेन)
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारीमहिला बाल विकास एवं समाज सुरक्षा विभाग,झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी, विधि विभाग झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी, गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)
6.	निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य निदेशालय, नामकुम,झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)
7.	तीन महिला विधान सभा सदस्य	-सदस्य (पदेन)
8.	राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप नियुक्त निम्नांकित क्षेत्रों के कुल 10 (दस) विशेषज्ञ सदस्य:	
	(i) अनुवांशिकीविद (Eminent Medical Geneticists) या भ्रूण विज्ञानी (Embryologists) - 2 (दो)	-सदस्य
	(ii) स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ(Eminent Gynecologists and Obstetricians)- 2 (दो)	-सदस्य
	(iii) समाजिक विज्ञानी (Social Scientist) - 2 (दो)	-सदस्य
	(iv) महिला कल्याण संगठन (Representatives of women welfare organisations) के प्रतिनिधि- 2 (दो)	-सदस्य
	(v) महिला स्वास्थ्य एवं बाल विकास क्षेत्र में कार्य कर रहे (Representatives from Civil Society Working on Women's health and child issues)	-सदस्य
9.	विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (विषय प्रभारी) स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)

2. क्रमांक 7 में उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। इस बीच इन सदस्यों में से किसी सदस्य के द्वारा यदि राज्यमंत्री/ मंत्री/ विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद धारित किया जाता है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान यदि विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वैसी स्थिति में भी बोर्ड से इनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।

3. भारत सरकार के पत्रांक- D.O.NO.U.11019/07/2022/HR दिनांक- 05.05.2022 के आलोक में उपर्युक्त क्रमांक 8 पर उल्लेखित 10 विशेषज्ञ सदस्यों का चयन एवं नियुक्ति की अधिसूचना बाद में निर्गत की जाएगी।

4. बोर्ड का कार्य एवं दायित्व उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

5. बोर्ड की बैठक प्रत्येक चार माह में आहूत की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।
